

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 162 / 2013

संस्थापित दिनांक 03.04.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. धर्मेन्द्र पुत्र महादेव रावत उम्र—22साल
निवासी चम्बल कालौनी गोहद, जिला
भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 13 / 10 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 354 के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 20 / 03 / 2013 के 5.00 बजे गोलम्बर तिराह कस्बा गोहद में फरियादिया ज्योति की बुरी नियत से अश्लील इशारा कर लैंगिक अभाषीय टिप्पणी करने वाला कार्य कारित किया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि विचारण के दौरान फरियादी का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी अनिल कुमार ने पुलिस थाना गोहद को एक लेखीय आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह भरौली बायपास रोड पर निज निवास में मय परिवार के साथ रहता है गोहद का धर्मेन्द्र पुत्र महादेव रावत भिण्ड में अपनी रिश्तेदारी में आता जाता रहता है भिण्ड में उसकी बहन ज्योति को कॉलेज आते जाते समय अश्लील हरकतें करता है और अश्लील इशारा करता है एवं मौका पाकर परेशान करता है यह बात ज्योति ने उसे तथा घर वालों को बताई सो सुरक्षा की दृष्टि से बहन के साथ वह तथा घर के लोग साथ आते जाते हैं दिनांक 20 / 3 / 13 के समय करीब शाम 5:00 बजे वह तथा लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव एक दुकान पर सामान लाने गये तभी धर्मेन्द्र रावत आया और बहन ज्योति को अकेला देख उससे इशारा करने

लगा और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और बहन रोने व चिल्लाने लगी तभी जल्दी से उसने तथा लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव दोनों धर्मन्द्र को पकड़ने दौड़े तो वहां पास में खड़ी एक इनोवा कार में बैठकर धर्मन्द्र भाग गया यह घटना उसकी बहनेउ मौनू ने भी देखी है इनोवा कार गोहद चौराहा की तरफ गई जिसकी उसने काफी तलाश की ना ही इनोवा कार मिली और ना ही धर्मन्द्र मिला।

4. फरियादी की लेखीय रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा जांच उपरांत अप0क0 52/13 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया जाकर विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 354 के आरोपो की विरचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिया गया है किन्तु धारा 354 भादवि राजीनामा योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपी ने महिला ज्योति को बुरी नियत से अश्लील इशारा कर लैंगिक अभाषीय टिप्पणी करने वाला कार्यकारित किया?

सकारण निष्कर्ष

8. अनिल आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि डेढ साल पहले आरोपी उसकी बहन से आये दिन झगडा करता रहता था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी जो प्र0पी01 की है उक्त लेखीय रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई जो प्र0पी02 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा महिला की लज्जा भंग किये जाने के संबंध में न्यायालीन अभिलेख पर कथन न दिये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया हैकि आरोपी ने उसकी बहन ज्योति के साथ अश्लील हरकत कर बुरी नियत से हाथ पकड़ कर उसकी बहन ज्योति की लज्जा भंग करने की कौशिश की थी साक्षी के कथनो सेप्रथम सूचना रिपोर्ट का लेसमात्र भी समर्थन नहीं होता है।

9. कु0ज्योति आ0सा02 इस साक्षी के साथ अपराध घटित हुआ

है इस साक्षी का कहना है कि डेढ़ साल पहले की बात है आरोपी धर्मेन्द्र आये दिन रास्ता में झगडा करता रहता था जिसकी रिपोर्ट उसके घर वाले ने की थी दिनांक 20/3/13 को वह घर काम से गोहद आई थी तो आरोपी ने गोलम्बर पर उससे झगडा किया था साक्षी ने बुरी नियत से इशारा करने व छेड़छाड़ करने के संबंध में न्यायालीन अभिलेख पर कथन न दिये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने उसके साथ अश्लील इशारा कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसकी लज्जा भंग करने की कौशिश की थी।

10. प्रकरण में अनिल आ0सा01 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। कु0ज्योति आ0सा02 के साथ अपराध घटित हुआ है दोनों ही साक्षी घटना के अतिमहत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनके द्वारा न्यायालीन अभिलेख पर दिये गये कथनों में इस तथ्य का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने महिला ज्योति के साथ अश्लील इशारे कर उसके साथ छेड़छाड़ का अपराध कारित किया था। फरियादी पक्ष एवं आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी व आरोपी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं। जिससे घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेसमात्र भी समर्थन नहीं होता है।

11. मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन साक्षियों पर था लेकिन फरियादी अपने मामले को प्रमाणित नहीं कराना चाहते हैं ऐसी स्थिति में अन्य साक्षियों से मामला प्रमाणित नहीं हो सकता है। फरियादी के द्वारा ही लज्जा भंग की घटना से इंकार कर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिया है कि उसकी बहन ज्योति से आरोपी आये दिन झगडा करता रहता था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी। साक्षी के कथनों से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेसमात्र भी समर्थन नहीं होता है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

12. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा ,354 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये अतः आरोपी को भा.द.वि.की धारा,354 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उनके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते हैं।

13. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

14. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलिय

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 162 / 2013

न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उपरहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0 / सही

हस्ता0 / सही

जे0एम0एफ0सीगोहद

जे0एम0एफ0सी0गोहद